रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1985 (वैशाख 7, 1907)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1985 (VAISAKHA 7, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असंविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	385
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	521
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असंविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	545
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1081
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2045
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	143
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	14161
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	381
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	975
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	67
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को विशेष भाग अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्रदान नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	385
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	521
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	545
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	1081
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	2045
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories).	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	143
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	14161
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	381
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	975
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	67
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Follow Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1985

सं० 45-प्रेस/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री श्याम कान्त त्रिपाठी,
उप-निरीक्षक,
थाना अधिकारी बरिया
जिला बलिया ।

श्री रमा शंकर द्विवेदी
उप-निरीक्षक,
थाना अधिकारी रेवती,
जिला बलिया ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

6 जुलाई, 1983, को श्री श्याम कान्त त्रिपाठी, थाना अधिकारी, बरिया, जिला बलिया, को सूचना मिली कि डाकू नेता राकेश सिंह अपने पांच साथियों के साथ गांव भुवन का टोला के एक मकान में छिपा हुआ है । उन्होंने तुरन्त उपलब्ध पुलिस बल को तैयार किया और गांव की तरफ चल दिए । वे ये अनुदेश देकर गए कि पड़ोस के थाना रेवती के थाना अधिकारी को पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के लिए अनुरोध किया जाए । दोनों थाना अधिकारी भुवन का टोला पहुंचे और मकान को घेर लिया, जहां अपराधी छिपे हुए थे । श्री श्याम कान्त त्रिपाठी पुलिस दल के साथ मकान में घुसे और देखा कि मकान के एक कमरे को छोड़कर सभी कमरे खुले थे । श्री श्याम कान्त त्रिपाठी और श्री रमा शंकर द्विवेदी ने अपने-अपने पुलिस दल के साथ मकान के अन्दर मोर्चे संभाले और डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । अपराधियों ने अचानक दरवाजा खोला और पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । डाकू कमरे के अन्दर सुरक्षित थे और पुलिस दल पर गोली बारी करते रहे । श्री त्रिपाठी ने अपने अधीनस्थ एक कर्मचारी से मकान की छत में सुराख करने के लिए कहा, जिसने यह कार्य पूरा किया । किन्तु इस प्रक्रिया में वह जख्मी हो गया । यद्यपि इस मुठभेड़ में दोनों थाना अधिकारी जख्मी हो गए लेकिन वे अपनी ड्यूटी पर डटे रहे । अचानक कुछ डकैत बाहर निकल आए और खुले में पुलिस पर गोलीबारी करने लगे । उनमें से तीन पुलिस की गोली से मारे गए । एक डाकू ने आत्मसमर्पण के लिए चिल्ला कर कहा । श्री त्रिपाठी ने गोली चलाना बन्द कर दिया और डाकू को बाहर आने की अनुमति दी । लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया और झपटकर भाग निकलने की कोशिश की । उसका पीछा किया गया और वह भी मारा गया । गोलीबारी बंद होने के बाद मकान की तलाशी ली गई और छः डाकू मृतक पाए गए । उस मकान से एक रिवाल्वर, दो एस० बी० बी० एल० बन्दूकें, एक राइफल, दो देशी पिस्तौलें और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री श्याम कान्त त्रिपाठी, उप-निरीक्षक, और श्री रमा शंकर द्विवेदी, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जुलाई, 1983, से दिया जाएगा ।

सं० प्रेस/85—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री पोखन सिंह,
कांस्टेबल सं० 198,
प्रथम बटालियन,
आर० ए० सी०,
जोधपुर ।

श्री बिहारी लाल,
कांस्टेबल सं० 277,
प्रथम बटालियन,
आर० ए० सी०,
जोधपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12 मई, 1984, को रात लगभग 9.25 बजे श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात, सीमा होम-गार्ड कांस्टेबल श्री हजूरा सिंह से 4 अज्ञात युवकों ने पिस्तौल की नोंक पर .303 की एक राइफल छीन ली । घटना की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली श्री गंगानगर के थाना प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन कोतवाली के कर्मचारियों और दो कमान्डो—श्री पोखन सिंह, कांस्टेबल, और श्री बिहारी लाल, कांस्टेबल, के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर गए । श्री पोखन सिंह, कांस्टेबल, और श्री बिहारी लाल, कांस्टेबल, ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपराधियों का पीछा करना आरम्भ कर दिया क्योंकि अभियुक्त के पास जिसने राइफल छीनी थी, पिस्तौल थी, और वह निराशा में उन पर गोली चला सकता था । अभियुक्त ने यह आभास करने पर कि पुलिस दल उसके नजदीक था, पुलिस दल पर गोली चलाई जो सौभाग्य से किसी को भी नहीं लगी । अभियुक्त द्वारा गोली चलाए जाने के बावजूद उन्होंने पीछा करना जारी रखा और अंततः भरे हुए एक पिस्तौल और राइफल के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया । पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम दरबारा सिंह बताया जो जिला फिरोजपुर, पंजाब, का है, जिसे ड्यूटी से जान बूझकर अनुपस्थित रहने के कारण सेना से बर्खास्त कर दिया गया था । उसने स्वीकार किया कि उसने पंजाब और राजस्थान में कई बार लूटपाट की है और वह एक खतरनाक अपराधी है ।

इस प्रकार श्री पोखन सिंह, कांस्टेबल, और श्री बिहारी लाल, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 मई, 1984, से दिया जाएगा ।

सं० 47-प्रेज/85—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जगमल सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला—अलवर ।

श्री सरदार भगवान सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना—विराटनगर,
जिला—जयपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

अलवर में तैनात गुरुराह सशस्त्र (रक्षा) सेना की एक टुकड़ी बेकाबू हो गयी और 10 जून 1984, को यूनिट के वाहनों में काफी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोलाबारूद लेकर अपनी चौकियों से भाग खड़ी हुई । भगोड़ों के बारे में सूचना मिलने पर अलवर के पुलिस अधीक्षक अरुण बुगर ने भगोड़ों से सावधान रहने और उन्हें रास्ते में रोकने के लिए अपने बल और पड़ोसी जिलों को खुफिया सूचना भेजी । इन भगोड़ों की मानसिक स्थिति उन अफवाहों के कारण जो देश के उस भाग की घटनाओं से सम्बन्धित थी जिसके ये रहने वाले थे, बहुत उन्मत और उत्तेजित थी । उनको खतरनाक तरीके से अस्त्र परिचालित करते देखा गया ।

15 भगोड़ों के एक दल ने यूनिट के एक वाहन पर कब्जा कर लिया और विराट-नगर की तरफ चल दिए । एक अन्य दल पुलिस जांच स्थल से बच कर निकल भागा और जिला सीकर की तरफ बढ़ा । भगोड़ों के बारे में सूचना मिलने पर विराटनगर के पुलिस उप-निरीक्षक सरदार भगवान सिंह ने भगोड़ों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर कारगर अवरोधक खड़े करने में बहुत सूझ-बूझ और दक्षता से कार्य किया । जब भगोड़ों के दल का वाहन वहां पहुंचा तो वे वाहन के पास निडरतापूर्वक गए, आमने-सामने होकर उनसे बात की तथा उनको राजी किया । उन्होंने उनमें से कुछ को अपने वाहन से उतरने के लिए मना लिया । अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, श्री सरदार भगवान सिंह ने अत्यधिक उत्तेजित भगोड़ों के साथ सूझ-बूझ से काम लिया और उनसे सद्व्यवहार किया तथा किसी जान-माल की हानि हुए बिना हथियारों और गोलाबारूद सहित आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें बाध्य किया । इस तनावपूर्ण घटना के दौरान श्री जगमल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, अलवर, भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर श्री सरदार भगवान सिंह के साथ भगोड़ों से आमने-सामने बातचीत करने में सक्रिय भाग लिया ।

इस घटना के दौरान श्री जगमल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, और श्री सरदार भगवान सिंह, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट साहस, सूझबूझ और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 10 जून, 1984 से दिया जाएगा ।

सं० 48-प्रेज/85—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री पदम डी० शर्मा,
पुलिस अधीक्षक,
जिला—सीकर ।

श्री जाला राम,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना—रींगस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

अलवर में तैनात गुरुराह सशस्त्र (रक्षा) सेना के एक टुकड़ी बेकाबू हो गयी और 10 जून 1984, को यूनिट के वाहनों में काफी मात्रा में स्वचालित हथियार तथा गोला-बारूद लेकर अपनी चौकियों से भाग खड़ी हुई । एक ट्रक जिसमें ऐसे बारह भगोड़े थे, भरथरी स्थित जांच-स्थल से सीकर जिले में बल-पूर्वक घुसने में सफल हो गए ।

11 जून 1984, को श्री पदम डी० शर्मा, पुलिस अधीक्षक, सीकर, को रींगस कैम्प में इस घटना की सूचना प्राप्त हुई । वे श्री जाला राम, पुलिस उप-निरीक्षक, और एक छोटी पुलिस टुकड़ी को साथ लेकर तुरन्त घटनास्थल की ओर गए, ताकि वे भगोड़ों को आगे बढ़ने से रोक सकें ।

श्री शर्मा और उनके दल ने भगोड़ों को, जो ट्रक में आये थे, रोकने के लिए बाध्य किया लेकिन वे भागने में सफल हो गए। पुलिस दल ने भगोड़ों के वाहन का पीछा किया जोकि माडा गांव की ओर जा रहा था । आगे पक्की सड़क न होने के कारण, भगोड़ों ने वाहन को रोक दिया और अपने पीछे आ रहे पुलिस दल पर गोली चला दी । बराबर की संख्या और गोली बारी की क्षमता समान न होने के बावजूद श्री शर्मा ने अपने साथियों को जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया । उसके उपरान्त भगोड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकर की ओर बढ़े । जैसे ही भगोड़ों का वाहन इस सड़क पर चढ़ा वे पालसाना गांव में पीछा कर रहे पुलिस दल और उप-पुलिस अधीक्षक समेश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल, जो भगोड़ों मुकाबला करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया था, के बीच में फंस गया । भगोड़ों के भाग निकलने के सभी प्रयासों को पुलिस ने विफल कर दिया । निराश होकर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाई । पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप भगोड़ों के वाहन का ड्राइवर मारा गया । उनके वाहन के उलटते ही पुलिस दलों ने 10 भगोड़ों को पकड़ लिया । बाद में एक भगोड़ा भागने की कोशिश में पुलिस की गोली से मार गया और दूसरे को पकड़ लिया गया । उनसे 20 कारबाईन मशीनगन, 10 एस० एल० आर० और 313 हथगोले बरामद किए गए ।

इस घटना के दौरान, श्री पदम डी० शर्मा, पुलिस अधीक्षक, और श्री जाला राम, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून, 1984, से दिया जाएगा ।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1985

सं० ए० 11011/9/85-प्रशा०-1—मंत्रिमण्डल सचिवालय के 21-3-1983 के संकल्प सं० एफ० 64/1/1/83-मंत्रि० द्वारा गठित ऊर्जा सलाहकार बोर्ड की अवधि 30 जून, 1985 तक बढ़ाई जाती है ।

राजीव कुमार सिंह, उप-सचिव

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1985

सं. 9/1/85-के. से.-II—सितम्बर, 1985 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन, अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति, आदेश 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा कार्य संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1985 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा:—

(1) 1 अगस्त, 1985 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम-से-कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी :—1—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी :—2—अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी :—3—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी :—4—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय

लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु :—

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-8-85 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1935 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1974 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्री लंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, युगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(xiv) यदि उम्मीदवार विस्थापन से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

यदि उम्मीदवार विस्थापन में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और भूतपूर्व पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष जो कि उपरोक्त पैरा XVI अतिरिक्त होगी, और

(xviii) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षणशाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से सकार्य कराया है, प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से सकार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के के लिये—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से, धारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबंधों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हों, बाकी उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिये।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की पांच अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड का प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकते, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किये बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाये।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस संबंध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी नि:संवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के. स. लि. से./रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किस नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

एच. जी. मंडल,
अवर सचिव

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1.—नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2.—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2 भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध	50	100	2 घंटे
(ख) सारलेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

टिप्पणी:—निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रारूप-लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग।

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और

(3) निर्वाचन आयोग।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न पत्रों अर्थात् (।) निबंध तथा सार लेखन, अथवा (।।) टिप्पण लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (।।।) सामान्य ज्ञान में किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए। अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3:—एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 4:—प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में, दिए जाएंगे।

परिशिष्ट

टिप्पणी 5:—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।

5. उम्मीदवारों की सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नंबर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

(1) निबंध तथा सार लेखन परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(क) निबंध—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन—सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिए जाएंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा संबंध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा पर्यटन विभाग के उम्मीदवारों को चाहिए कि उसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर) —सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियों रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट्स आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्तपुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राज भाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कार्यालय पद्धति की नियम (मैनुअल आफ आफिस प्रोसिजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर, टिप्पणियां, तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

(3) सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिए किन्हीं पाठ्य पुस्तकों प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उन प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1985

संकल्प

सं० 11011/2/85 हि० का० क०—भारत सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग के लिए तक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया है । समिति का गठन और उसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

1.	वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री वी० के० यादव, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री गिरधारी लाल डोगरा, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5.	श्री वीर भद्र प्रताप सिंह, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6.	श्री भीमराज, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7.	रिक्त } संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	रिक्त } जिन्हें अभी नामित किया जाना है	सदस्य
9.	श्री आर० के० नटेशन, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (उत्तरी रेलवे), I. वहाब नगर, सिख विलेज, सिकन्दराबाद-500003	सदस्य
10.	श्री अमर नाथ शारदा, प्लाट नं० 201, बान्द्रा धूप छांव को आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, 28 लिंकिंग रोड, बान्द्रा, बम्बई (महाराष्ट्र)	सदस्य
11.	प्रो० कैलाशनाथ भाटिया, हिन्दी विभाग, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उ० प्र०)	सदस्य
12.	श्री यू० सी० अग्रवाल, प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स० वाई०-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-23	सदस्य
13.	श्री प्रभात शास्त्री, कवि (हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि) कुटीर, 523 दारागंज, इलाहाबाद	सदस्य
14.	वित्त सचिव और सचिव (आ० कार्य विभाग)	सदस्य
15.	हिन्दी सलाहकार एवं सचिव राजभाषा विभाग	सदस्य
16.	सचिव (बैंकिंग)	सदस्य
17.	गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
18.	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम	सदस्य
19.	अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम	सदस्य
20.	अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
22.	राष्ट्रीय बचत आयुक्त, नागपुर	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (प्र०), आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य सचिव

II. कार्य :

समिति आर्थिक कार्य विभाग को सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबद्ध मामलों पर परामर्श देगी ।

III. कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि :—

(1) समिति में नामित कोई संसद सदस्य उस समय तक समिति का सदस्य रहेगा जब तक वह संसद सदस्य बना रहेगा ; और

(2) समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त सदस्य शेष अवधि के लिए होंगे ।

सामान्य :

(1) यदि आवश्यक हो तो, समिति में अतिरिक्त सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं और उसकी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है अथवा समिति उप-समितियां नियुक्त कर सकती है;

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु समिति अपनी बैठकें अन्य स्थानों पर भी आयोजित कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

राष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।

यह भी आदेश है कि सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० के० शुंगलू, संयुक्त सचिव

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1985

संकल्प

सं० क्रय-11/निपटान/विशेष सैल/ए विह०—सशस्त्र सेनाओं के पास जमा युद्ध सम्बन्धी उपकरणों तथा सुरक्षात्मक भंडार के निपटान के लिए इस विभाग में दि० 3 जनवरी, 1984 के समसंख्यक संकल्प के अनुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी ।

2. अब, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अप्रैल, 1985 से उक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति को समाप्त कर दिया जाए ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रकार के भण्डार के निपटान का शेष कार्य रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० एस० हरिहरन, संयुक्त सचिव

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1985

संकल्प

सं० ई० 11015/6/83-हि० अ०—उद्योग मंत्रालय के साथ कम्पनी कार्य विभाग जुड़ जाने तथा आठवीं लोक सभा का गठन होने के फलस्वरूप हुए

परिवर्तनों के संदर्भ में उद्योग मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 27 जून, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है :—

1. क्रम संख्या 3 पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

   श्री बी० के० ओडेडरा, सदस्य लोक सभा, 132, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ;

2. मंत्रालय का नाम संकल्प में सभी जगह उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय पढ़ा जाए ,

3. सदस्यों की सूची में :

   (1) सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, तथा

   (2) संयुक्त सचिव, कम्पनी कार्य विभाग ।

बढ़ जाने के फलस्वरूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या अब 38 हो गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

वीरेन्द्र कुमार चानना, संयुक्त सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 अप्रैल 1985

आदेश

सं० 27/9/85-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209—क की उप-धारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच० के० मलिक, निरीक्षण अधिकारी को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209—क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है ।

सी० एल० प्रथम, अवर सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1985

संकल्प

सं० 37-581/83—एल० डी०-2—भारत सरकार ने 13 जनवरी, 1984 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्मों, केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान तथा यादृच्छिक नमूना अण्डा (लेइंग) परीक्षण एककों के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन करने का निर्णय किया है :—

1. अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	अध्यक्ष
2. पशुपालन आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
3. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
4. निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म और केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म	सदस्य
5. निदेशक, सी० टी० आई० पी० पी० एम०, हैस्सरघट्टा	सदस्य
6. अभीक्षक, आर० एस० टी० यू०	सदस्य
7. संयुक्त आयुक्त (पी०), कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य-सचिव ।

प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और नीचे दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी :—

(क) नीति सम्बन्धी सभी मामलों पर विचार करना और उन्हें स्वीकृति देना तथा योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना और परिवर्तन करना;

(ख) फार्मों/यूनिटों/संस्थान के कार्यों से सम्बन्धित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना ;

(ग) पुनर्विनियोजन की शक्तियों पर लगे प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि का पुनः आवंटन करने से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करना तथा परिवर्तनों के लिए स्वीकृति देना ;

(घ) कार्मिक प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सभी मामलों से सम्बन्धित नीतियों पर विचार करना तथा उनकी सिफारिश करना ;

(ङ) प्रबन्ध समिति भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी किसी भी मामले पर समय-समय पर जारी किए गए निदेशों को अमल में लाएगी ।

(च) प्रबन्ध समिति वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले नियम, 1978 के नियम 13 (2) के तहत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को प्रदत्त सभी शक्तियों का उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग करेगी । इसमें निम्नलिखित शक्तियां शामिल नहीं होंगी :—

   (1) पदों का सृजन,

   (2) हानियों को बट्टे खाते में डालना, और

   (3) मूल बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत से अधिक की धनराशि का पुनर्विनियोजन ।

प्रबन्ध समिति वर्ष में दो और यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक बार बैठक कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, वाणिज्य लेखा परीक्षा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, और निदेशक; सामान्य नौ परिवहन को प्रेषित की जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० एस० सराय, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1985

संकल्प

सं० 9-3/84-फ०,प्र०-2—राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड का गठन होने पर भारत सरकार ने अपने तारीख 28 फरवरी, 1983 के संकल्प सं० 26-1/80-फ०-प्र० 2 द्वारा गठित भारतीय तिलहन विकास परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालय, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० सोम, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th April 1985

No. 45-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Shyam Kant Tripathi,
Sub-Inspector,
Station Officer, Barla,
District Ballia.

Shri Rama Shanker Dwivedi,
Sub-Inspector,
Station Officer Reoti,
District Ballia.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 6th July, 1983, Shri Shyam Kant Tripathi, Station Officer, Baria, Distt. Ballia, received information that dacoit leader Rakesh Singh, with his five associates was hiding in a house in village Bhuwan Ka Tola. He immediately organised available police force and rushed to the village. He left instructions that the neighbouring Station Officer of Police Station Reoti should also be requested to rush to the spot with the police force. Both the Station Officers reached Bhuwan Ka Tola and cordoned off the house, where the criminals were hiding. Shri Shyam Kant Tripathi with police party entered the house and found that except one room, all the rooms of the house, were thrown open. Shri Shyam Kant Tripathi and Shri Rama Shanker Dwivedi, alongwith their respective police parties took positions inside the house and challenged the dacoits to surrender. The criminals suddenly opened the door and started firing on the police party. The dacoits were in a secure position inside the room. Shri Tripathi asked one of his subordinates to have a hole bored in the roof of the room but in the process he was injured. Although both the Station Officers were injured in the encounter but they remained firm at the positions. A few dacoits suddenly broke covers and dashed out in the open firing at the police. Three of them were shot dead by the police firing. One dacoit shouted for surrender. Shri Tripathi suspended the fire and allowed the dacoit to come out. But instead of surrendering he started firing at the police party and made bid to escape. He was chased and shot dead. After the firing had ceased a search was made of the house and six dacoits were found dead. One revolver, two SBBL guns, one rifle, two country made pistols and huge quantity of cartridges were recovered from the house.

In this encounter Shri Shyam Kant Tripathi, Sub-Inspector and Shri Rama Shanker Dwivedi, Sub-Inspector, exhibited conspicuous bravery, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th July, 1983.

No. 46-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and rank of the officers

Shri Pokhan Singh,
Constable No. 198,
1st Bn., RAC, Jodhpur.

Shri Bihari Lal,
Constable No. 277,
1st Bn., RAC, Jodhpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 12th May, 1984, at about 9.25 p.m. four unknown youths snatched away, the rifle from Shri Hazoor Singh, Border Home Guards Constable, who was on duty at Railway Station, Sriganganagar, at the point of pistol. On receipt of information about the incident, the SHO of Police Station Kotwali, Sriganganagar, alongwith the staff and two Commandos Shri Pokhan Singh and Shri Bihari Lal, immediately rushed to the spot. Shri Pokhan Singh and Shri Bihari Lal, Constables, stared pursuing the culprits in utter disregard to their personal safety as the accused, who snatched the rifle, was also in possession of a pistol and in desperation he could fire at them. The accused sensing that the Constables were nearing him, fired at them but fortunately it did not hit anyone. Inspite of firing from the accused, they continued pursuit and ultimately arrested him alongwith the loaded pistol and the rifle. On interrogation the accused revealed his name as Darbara Singh, of District Ferozpur, Punjab, who was dismissed from the Army on account of wilful absence from duty. He confessed having committed several robberies in Punjab and Rajasthan and was a dangerous criminal.

Shri Pokhan Singh, Constable and Shri Bihari Lal, Constable, thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th May, 1984.

No. 47-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and rank of the officers

Shri Jagmal Singh,
Deputy Supdt. of Police,
District Alwar.

Shri Sardar Bhagwan Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Viratnagar,
District Jaipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A band of misguided armed (Defence) troops posted at Alwar became restive and deserted their posts on the 10th June, 1984, in Unit vehicles alongwith large quantity of automatic arms and ammunition. On hearing the information of the deserters, Shri Arun Dugar, Supdt. of Police, Alwar, flashed intelligence to his force and to the neighbouring districts to look out for and intercept the deserters. The deserters were in a highly frenzied and agitated mind due to rumours regarding the affairs of their concerned State.

A group of 15 deserters commandeered a unit vehicle and proceeded towards Viratnagar. Another group slipped through the police checkpoints and headed towards Sikar district. On receiving information about the deserters, Shri Sardar Bhagwan Singh, Sub-Inspector, Viratnagar, acted with great presence of mind and skill and put up an effective barrier on the National Highway with a view to block the further advance of the deserters. When the group of deserters arrived in the vehicle, he approached the vehicle fearlessly, conversed with them face-to-face, and brought them into a proper frame of mind. He persuaded some of them to dismount from the vehicle. In complete disregard to his personal safety, Shri Sardar Bhagwan Singh conducted himself in an extremely tactful and disciplined manner with the highly agitated deserters and made them surrender with arms and ammunition without any loss of life and property. Shri Jagmal Singh, Deputy Supdt. of Police, Alwar, was also present throughout this tense episode and took active part alongwith Shri Sardar Bhagwan Singh in conversing with the deserters face-to-face, at great risk to his own life.

In this incident Shri Jagmal Singh, Deputy Supdt. of Police and Shri Sardar Bhagwan Singh, Sub-Inspector, exhibited conspicuous courage, presence of mind and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th June, 1984.

No. 48-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and rank of the officers

Shri Padam D. Sharma,
Supdt. of Police,
District Sikar.

Shri Jala Ram,
Sub-Inspector of police,
Police Station Reengus.

Statement of services for which the decoration has been awarded

A band of misguided armed (Defence) troops posted at Alwar became restive and deserted their posts on the 10th June, 1984 in Unit vehicles alongwith large quantity of automatic arms and ammunition. A truck of such deserters numbering twelve had managed to forcibly slip through the police check-points at Bharathari into the Sikar district areas.

On the 11th June, 1984, Shri Padam D. Sharma, Supdt. of police, Sikar, received information about this incident at Camp Reengus. He immediately alongwith Shri Jala Ram, Sub-Inspector, and a small police force, proceeded to the spot with a view to check the further move of the deserters. The deserters, who arrived in a vehicle, were intercepted by Shri Sharma and the deserters' vehicle, which was heading towards Manda village. On finding no pucca road ahead, the deserters stopped the vehicle and fired at the police party. Shri Sharma ordered his men to return the fire inspite of meagre number and being no match in firepower. The deserters thereafter took to the National Highway towards Sikar. As the deserters' vehicle progressed on this road, it was sandwitched between this police party and the police party led by Shri Rameshwar Singh, Deputy Supdt. of police, which reached the spot to engage the deserters at Palsana village. The attempt to escape by the deserters was thwarted by the police parties. The deserters then fired at the police party in desperation. The police party returned the fire, killing the vehicle driver. As a result, the vehicle overturned and 10 deseters were captured. One deserter was killed when he tried to escape, while the other was captured later on 20 Carbine Machine guns, 10 SLRs and 313 hand grenades were recovered from them.

In this incident Shri Padam D. Sharma, Supdt. of police, and Shri Jala Ram, Sub-Inspector, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th June, 1984.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th March 1985

No. A. 11011/9/85-Ad. I.—The term of Advisory Board on Energy, constituted *vide* Cabinet Secretariat Resolution No. F.64/1/1/83-Cab., dated 21-3-83, is extended upto 30th June, 1985.

R. K. SINGH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

RULES

New Delhi, the 27th April, 1985

No. 9/1/85-CS II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.), Central Vigilance Commission and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in September, 1985 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Toursim (Headquarters Estt.), or Central Vigilance Commission or the Election Commission of India who on the 1st August, 1985 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service

He should have on the 1st August, 1985 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or in the Central Vigilance Commission or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India :

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Central Vigilance Commission or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade :

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and he should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

Note 1.—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

Note 2.—The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Note 3.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism (Headquarters Estt.) or of Central Vigilance Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency, issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note 4.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This however does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cedre post or to another Service on the 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or the Department of Tourism. (Headquarters Estt.) or Central Vigilance Commission.

(2) Age—

(a) He should not be more than 30 years of age on 1st August, 1985 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1935, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the Services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) ;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a distributed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

(xvi) upto a maximum of 3 years if a person is displaced from the erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973;

(xvii) upto a maximum of 5 years in addition to the relaxation as at (xvi) above if a candidate belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe and displaced from the erstwhile West Pakistan and has migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973; and

(xviii) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) Typewriting Test : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonating by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provision in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in five separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the result of the examination is entirely. within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in his examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondance with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, the the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the Written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum Marks	Time Allowed
(i) Essay and Precis Writing (a) Essay 50 (b) Precis-Writing 50	100	2 hours
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

NOTE :—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S., Department of Tourism (Headquarters Estt.) & Central Vigilance Commission,

(ii) R.B.S.C.S.,

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and precis Writing or (ii) Nothing and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge be answered in English.

NOTE 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3—The option once exercise shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5—No credit will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and Office Procedure—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

3. General Knowledge—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates knowledge of Indian Geography as well as the Country's administration as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports, etc.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 30th March 1985

RESOLUTION

No. F. 11011/2/85-HIC.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Department of Economic Affairs. The composition and the functions, etc. of the Samiti will be as under :—

Chairman

1. Finance Minister

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Finance

Members

3. Shri V. K. Yadav, Member, Lok Sabha

4. Shri Girdhari Lal Dogra, Member, Lok Sabha

5. Shri Veerbhadra Pratap Singh, Member, Rajya Sabha

6. Shri Bhim Raj, Member, Rajya Sabha

7. Vacant } Representatives of the Committee of
8. Vacant } Parliament on Official Language.

9. Shri R. K. Natesan, Rtd. General Manager (Nortern Railway), 19, Wahab Nagar, Sikh Village, Secundrabad-500003.

10. Shri Amar Nath Sharda, Plot No. 201, Bandra Dhup Chaon Coop. Housing Society, 28th Linking Road, Bandra, Bombay (Maharashtra).

11. Prof. Kailash Nath Bhatia, Hindi Department, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (U.P.).

12. Shri U. C. Aggarwal, Pradan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-23.

13. Shri Prabhat Shastri, Kavi Kuteer, 523, Dara Ganj, Allahabad. } *A representative of the Hindi Sahitya Samelan.

14. Finance Secretary and Secretary (EA).

15. Hindi Advisor and Secretary, Department of Official Language.

16. Secretary (Banking).

17. Governor, Reserve Bank of India.

18. Chairman, Life Insurance Corporation of India.

19. Chairman, General Insurance Corporation of India.

20. Additional Secretary (Administration), Department of Revenue.

21. Joint Secretary, Department of Official Language.

22. National Savings Commissioner, Nagpur.

Member-Secretary

23. Joint Secretary (Administration), Department of Economic Affairs.

II. *Functions*

The Samiti shall advise the Department on matters relating of its formation, provided that :

III. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :

(i) a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be for the remaining period of three years only.

IV. *General*

(i) The Committee may co-opt aditional Members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary;

(ii) The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. SHUNGLU, Jt. Secy.

MINISTRY OF SUPPLY & TEXTILES

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi, the 4th April 1985

RESOLUTION

No. P-II/Disp./Spl. Cell/'A' Veh.—A High Powered Committee for Disposals of war-like equipment and stores of security nature accumulated with the Armed Forces, was formed in this Department vide Resolution of even No. dated 3rd January, 1984.

2. It has now been decided that the said High Powered Committee should be wound up with effect from the 4th April, 1985.

3. It has also been decided that the residual work of disposal of such stores shall be transferred to the Ministry of Defence.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. S. HARIHARAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th March 1985

RESOLUTION

No. E-11015/6/83-HS.—Consequent upon the addition of Department of Company Affairs with the Ministry of Industry and in view of the change occurred due to constitution of the Eight Lok Sabha, it has been decided to make the following Ammendments in this Ministry's Resolution of even number dated the 27th June, 1984 :—

1. Serial No. 3 may be read as follows :—

   Shri B. K. Odedra, Member Lok Sabha,
   132, South Avenue, New Delhi.

2. Name of the Ministry wherever it appears in the Resolution may be read as Ministry of Industry and Company Affairs.

3. The total number of members has become 38 now with the addition of the following members in the list :—

   (i) Secretary, Deptt. of Company Affairs an

   (ii) Joint Secretary, Deptt. of Company Affairs.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. CHANANA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 2nd April 1985

ORDER

No. 27/9/85-CL. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (I) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby authorises Shri H. K. Mallik, Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

C. L. PRATHAM, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi, the 26th February 1985

RESOLUTION

No. 37-58/83-LD.II.—In supersession of Resolution of even number dated 13-1-1984 it has been decided by the Government of India to constitute a Management Committee for the Central Poultry Breeding Farmers; Central Duck Breeding Farm, Central Training Institute for Poultry Production & Management and Random Sample Laying Test Units. The constitution of the Management Committee will be as under :—

Chairman

1. Additional Secretary,
   Department of Agriculture & Cooperation.

Members

2. Animal Husbandry Commissioner,
   Department of Agriculture & Cooperation.

3. Joint Secretary & Financial Adviser,
   Department of Agriculture & Cooperation.

4. Directors of the Central Poultry Breeding Farms and Central Duck Breeding Farm.

5. Director, Central Training Institute for Poultry Production & Management, Hessarghatta.

6. Superintendents, Random Sample Laying Test Units.

Member-Secretary

7. Joint Commissioner (P), Department of Agriculture and Cooperation.

The Management Committee shall perform the functions and exercise the powers given below :

(a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce changes necessary to meet the requirements of the scheme :

(b) review progress of implementation of the programme of works of the farms/units/institute;

(c) consider and approve changes in the annual programmes involving substantial re-allocation of funds in relation to the approved programme subject to restrictions on powers of re-appropriation;

(d) consider and recommend policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the scheme;

(f) the Management Committee shall exercise all the powers delegated to the Ministries of the Central Government under Rule 13(2) of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 as per the provisions

of the said Rules. This delegation will not cover the following powers:—

(i) creation of posts;

(ii) write off of losses; and

(iii) re-appropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision.

The Management Committee may meet twice a year and even more frequently, if necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue, the Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agricultural Research and Director General Shipping.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. SARAO, Addl. Secy.

New Delhi, the 22nd March 1985

RESOLUTION

No. 9-3/84-C.A.II.—Consequent upon the setting up of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board under the National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board Act, 1983, the Govt. of India has decided to abolish the Indian Oilseeds Development Council set up vide their Resolution No. 26-1/80-C.A. II dated the 28th February, 1983.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Govts., Administrations of Union Territories and Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SOM, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985